BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNALPRINCIPALBENCH NEWDELHI

O.A.NO.961/2024

INTHEMATTEROF:

NITINDEV ...APPLICANT

VERSUS

STATEOFUTTARAKHAND&ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

Status Report by the District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, in compliance of the order dated 17.09.2024 of this Hon'ble Tribunal.

Table of Annexure

Annexure	PARTICULARS	PageNo.
1.	Compliance report by the District Magistrate Tehri Garhwal	2-6
2.	Joint Committee's report along with annexures	7-17

DATED: 21.10.2024

FILED BY:

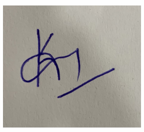

[KAUSHALGAUTAM]

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand/ Respondent
Office:A-25, Second floor, DefenceColony,NewDelhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email-officeofkaushalgautam@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

O.A. NO. 961/2024

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ...RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DM, TEHRI GARHWAL, BASED ON THE JOINT COMMITTEE'S FINDINGS IN FURTHERANCE OF ORDER DATED 17.09.2024 OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

In compliance to the order dated 17.09.2024, I, Mayur Dixit, District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, do hereby submit the report based upon the joint committee's observations:

1. A joint committee was formed in compliance with the order dated 17.09.2024, passed by this Hon'ble Tribunal in the matter of Original Application (O.A. No. 964/2024). This committee comprised the Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division, Muni Ki Reti, Tehri Garhwal, and the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, under my supervision as the Nodal Officer. The Tribunal's order, as stated on the last hearing, is reproduced below:

> 3. *"In our view, before proceeding further, it is appropriate to verify the facts. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising the District Magistrate, Tehri Garhwal; Divisional Forest Officer, Tehri Garhwal; and Uttarakhand Pollution Control Board to obtain a factual report."*
> 4. *The District Magistrate, Tehri Garhwal, shall act as the Nodal Authority for coordinating and ensuring compliance with this order.*
> 5. *The Committee shall conduct a site visit, gather the necessary information, and submit a factual report within one month.*
> 6. *The matter is listed for further consideration on 24.10.2024.*

2. That in compliance with the above order, the joint committee conducted an inspection on 24.09.2024 at the premises of Osho Ganga Dham (Janaki Kutia), situated at Patta No.-52, Brahmapuri, Tehri Garhwal. Present at the inspection were representatives of Osho Ganga Dham, including Nitin Dev, along with Revenue and Forest Department officials.

3. **Lease Details:** (i) Lease No.-52, in the name of Swami Vivekanand Das, covers 0.2089 hectares of forest land in Brahmapuri, Tehsil Narendranagar, district Tehri Garhwal, originally sanctioned for a period of 30 years. (ii) The lease was renewed for another 30 years, starting from 10.06.2001. After the demise of Swami Vivekanand Das in 2011, "Osho Ganga Dham" has been established and is operating on leased land.

4. **Land Area under Lease:** The total area sanctioned under the lease is 0.2089 hectares.

5. **Land Possession Status:** During the joint measurement of land by the Revenue and Forest Departments, 0.4146 hectares were found to be under the possession of Osho Ganga Dham, as against the 0.2089 hectares approved under the lease. Of this, 0.1566 hectares are built up, and 0.2580 hectares remain as open space.

6. **Sewer System:** While the premises do not have a sewage treatment plant, a septic tank has been constructed near the riverbank. The sewage is not being discharged into the river. By letter No. UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2300-1180 dated 15.10.2024, the Regional Officer of the Pollution Control Board, Dehradun has directed the institution to obtain consent under Sections 25 and 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

7. **Use of Forest Wood for Cooking:** Currently, forest wood is not being used for cooking purposes. Instead, domestic LPG cylinders are being utilised in the kitchen in the premises. A notice has been issued to the Manager of Osho Ganga Dham (Janaki Kutiya) by the District Supply Officer, Tehri Garhwal, through letter No. 743/40-88/Petro/2024-25 dated 16.10.2024.

8. **Waste Disposal:** The waste generated by the institute is collected by two waste collectors from Green Himalaya Sansthan, and both the disposal and collection of user charges are handled by Green Himalaya Sansthan.

9. **Fire Safety:** There is no fire-fighting system installed at the premises. On 15.10.2024, the Fire Officer of Narendra Nagar, Tehri Garhwal, issued an order (letter No. FS/NIA/2023) instructing the management to install a fire-fighting system and apply for the necessary NOC online.

10. **Food License:** A food license has not yet been obtained. The Senior Food Safety Officer of Tehri Garhwal issued a notice to the Manager of Janaki Kutiya (Osho Ganga Dham) on 16.10.2024 with instructions to comply.

11. **Illegal Tree Felling:** No evidence of illegal tree felling was discovered within the premises.

12. **Use of Air Conditioning:** Air conditioning units are

W

installed and operational in the premises rooms.

13. **Construction within Floodplain Zoning:** The inspection also revealed that a hall, residential cottages, and temporary tin sheds had been constructed within the premises on Patta No. 52, located within the 100-year flood frequency zone. These structures are approximately 63 meters from the centre of the Ganga River.

In light of the findings and observations from the inspection, this report is submitted to comply with the directives of this Hon'ble Tribunal. Necessary actions will be taken as per legal provisions.

District Magistrate,

Tehri Garhwal, Uttarakhand

DATED: 21.10.2024

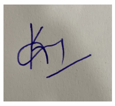

Filed By

[KAUSHAL GAUTAM]

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent 1
Office: A-25, Second floor,
Defence Colony, New Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

ANNEXURE - A

नितिन देव

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार

तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024 दिनांक 17.09.2024 में पारित आदेश के अनुपालन के कम में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल नोडल अधिकारी के रुप में, प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वनप्रभाग, मुनिकीरेती,टिहरी गढवाल एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून की सयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 24.09.2024 को ब्रह्मपुरी में ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया), पट्टा संख्या-52 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान नितिन देव, ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) के प्रतिनिधि एवं राजस्व विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे।
2. लीज का विवरणः- जनपद टिहरी गढवाल के तहसील नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थान ब्रह्ममपुरी में स्वामी विवेकानन्द दास के नाम लीज संख्या-52 कुल 0.2089 हे0 वन भूमि 30 वर्षो के लिये स्वीकृत है। लीज दिनांक 10.06.2001 से तीस वर्ष तक नवीनीकृत है। स्वामी विवेकानन्द दास की सन् 2011 में मृत्यु हो चुकी है। उक्त लीज भूमि पर वर्तमान में "ओसो गंगा धाम" स्थापित व संचालित है।
3. लीज भूमि का क्षेत्रफल - लीज में कुल 0.2089 हे0 भूमि स्वीकृत है।
4. अतिकमण की स्थितिः- राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा ओसो गंगा धाम के कब्जे में स्थित भूमि की पैमाईस/नाप जोप में लीज में स्वीकृत 0.2089 हे0 भूमि के सापेक्ष कुल 0.4146 हे0 भूमि कब्जे में पायी गई है। उक्त 0.4146 हे0 भूमि मध्ये 0.1566 हे0 भूमि निर्मित क्षेत्र तथा 0.2580 हे0 खुला क्षेत्र पाया गया है। अग्रिम कार्यवाही हेतु वन विभाग को सूचित किया गया है।
5. सीवर की स्थितिः- परिसर में सीवर ट्रीटमेंट प्लाट नही है, अपितु परिसर में नदी तट के समीप सीवर सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। सीवर नदी में प्रवाहित नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या- यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-121/2024-25/2300-1180 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धरा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने के हेतु आदेशित किया गया है।
6. जंगल की लकडियों से खाना बनाने की स्थितिः- वर्तमान में जंगल की लकडियों का उपयोग खाना बनाने में नही किया जा रहा है, किन्तु परिसर के कीचन में घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या -743/40-88/पेट्रो0/2024-25 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा प्रबन्धक, ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) को नोटिस दिया गया है।
7. कूडा निस्तारण की स्थितिः- संस्थान के कूडे का संग्रहण ग्रीन हिमालया संस्था के 2 कूडा संग्रहकों के माध्यम से किया जाता है एवं जिसका कूडा निस्तारण एवं यूजर चार्ज कलैक्शन ग्रीन हिमालया संस्था द्वारा ही किया जाता है।
8. फायर की अनापत्ति की स्थितिः- परिसर में अग्निशनम की व्यवस्था नहीं है। अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा दिनांक 15.10.2024 को पत्रांक - एफ0एस0/नि0अ0/2023 के द्वारा सम्बन्धित प्रवन्धन को अग्निशमन की व्यवस्था पूर्ण कर ऑन लाईन आवेदन कर अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया है।
9. फूड लाईसेंस की स्थितिः- फूड लाईसेंस प्राप्त नहीं है। वरिष्ठ/खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी गढवाल के द्वारा प्रबन्धक जानकी कुटिया (ओशो गंगा धाम) को दिनांक 16.10.2024 को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया है।
10. पेडो के अवैध पातन की स्थितिः- परिसर में पेडों के पातन किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये है।

11. परिसर में ए0सी0 के प्रयोग की स्थिति:– परिसर के कमरों में ए0सी0 का प्रयोग हो रहा है।
12. ब्रह्मपुरी में ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया), पट्टा संख्या–52 में निर्मित हॉल एवं कुछ आवासीय कॉटेज तथा अस्थाई टीन शैड निर्मित किये गये है जो कि बाढ मैदान परिक्षेत्रण की 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति सीमा के अन्तर्गत निर्मित है तथा उक्त स्थान की गंगा नदी के मध्य से दूरी लगभग 63 मीटर है।

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून,उत्तराखण्ड।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वनप्रभाग, मुनिकीरेती
टिहरी गढवाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

O.A. NO. 964/2024

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & Ors.

...RESPONDENTS

LIST OF DOCUMENTS

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Letter No. UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2300-1180 dated 15.10.2024 from the Regional Officer, Pollution Control Board, Dehradun, directing consent under Sections 25 and 26 of the Water Act, 1974, and Section 21 of the Air Act, 1981.	11
2.	Notice vide Letter No. 743/40-88/Petro/2024-25 issued by District Supply Officer, Tehri Garhwal, to the Manager of Osho Ganga Dham (Janaki Kutiya) regarding use of domestic LPG cylinders for cooking, dated 16.10.2024	12

W

3.	Receipt from Green Himalayan along with Acknowledgement Letter by Office of Nagar Panchayat, Tapovan, Tehri Garhwal	13-14
4.	Order dated 15.10.2024 vide Letter No. FS/NIA/2023 from Fire Officer, Narendra Nagar, Tehri Garhwal, directing installation of a fire-fighting system and application for NOC	15
5.	Notice dated 16.10.2024 issued by Senior Food Safety Officer, Tehri Garhwal, to the Manager of Janaki Kutiya (Osho Ganga Dham) regarding compliance for obtaining a food license.	16-17

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून–248001
टेलीफोन नं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-121 /2024–25/2300 – 1180 दिनांक: 15/10/24

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

प्रबन्धक
ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) ब्रहमपुरी
तहसील नरेन्द्र नगर,
जिला टिहरी गढ़वाल।

विषय– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 Nitin Dev Vs. State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में दिनांक 25.09.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपके आश्रम में 24 कमरे व 02 डोरमेट्री है, जिससे जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु परिसर से नदी तट के समीप सीवर सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। आश्रम से जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु परिसर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। आश्रम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गैर औद्योगिक श्रेणी में वर्गीकृत है। आश्रम के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है यथाशीघ्र जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार के **Single Window Portal- www.investuttarakhand.com** के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें तथा अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, किन परिस्थितियों में आपके द्वारा बिना सहमति प्राप्त किये आश्रम का संचालन किया गया।

अग्रेत्तर अवगत होवे कि बोर्ड से बिना जल व वायु सहमति प्राप्त किये बिना आश्रम का संचालन करना जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–21 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है तथा अनुपालन न करने पर आपके आश्रम के विरूद्ध जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

भवदीय

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/2024
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय,
जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
एम–ब्लाक, द्वितीय तल, नई टिहरी।
E-mail- dsotehri111@gmail.com

पत्रांक:-743/40-88/पेट्रो0/2024-25

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2024

नोटिस

स्वामी/प्रबन्धक,
ओशो गंगा धाम, (जामटी कुटिया),
पट्टा संख्या–52, ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर, टि0ग0।

महोदय,

कृपया दिनांक 24. सितम्बर, 2024 को जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, वन प्रभाग मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल की संयुक्त समिति द्वारा ओशो गंगा धाम की संयुक्त निरीक्षण आख्या का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

आख्या में उल्लेखित बिन्दु संख्या 06 के अनुसार परिसर के कीचन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा है। चूकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डर का उपयोग एल0पी0जी0 नियंत्रण आदेश–2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के अन्तर्गत नियम विरूद्ध है।

अतः आप उक्त निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–06 के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर एक सप्ताह की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

जिला पूर्ति अधिकारी,
a/c टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः–1– समस्त, पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे पूर्व में दिये गये निर्देशों के कम में अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डरो के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य करते हुए लिखित आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

–2– क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, 14 बीघा को इस निर्देश के साथ कि उक्त नोटिस को सम्बन्धित को प्राप्त करवाते हुए प्राप्ति जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

–3– जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

जिला पूर्ति अधिकारी,
a/c टिहरी गढ़वाल।

Scanned with OKEN Scanner

BILL OF SUPPLY GSTIN 05AAETG3148D1Z2

GREEN HIMALAYA

Dedicated to preserving the sanctity and cleanliness of the Ganga and Himalayas

Virkhet, Tapovan, Distt. Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249192
Mob 8279917919, 9410574664, 6390120522, 9897946696

No. **6701**

Date 30/09/2024

Name OSHO Gaṅga Dham

Address

Description	Amount Rs.	P.
User charges for the month of Sept.	2500/	-

Amount (in words)

Received payment Rs. 2500/- by Cash/Cheque/UPI

Composition Taxable Person, Not eligible to collect tax on supplies

All disputes are Subject to Tehri Jurisdiction
E & O E

Signature

कार्यालय–नगर पंचायत तपोवन, टिहरी गढ़वाल

email:-nagarpanchayattapovan@gmail.com

पंत्राक–186 / अपशि0प्रब0 / 2024–25

दिनांकः– 15 / 10 / 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
टिहरी गढवाल।

विषय – ओशो धाम आश्रम ब्रहमपुरी कूडा निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में सादर अवगत कराना है कि ओशो धाम आश्रम नगर पंचायत तपोवन निकाय सीमा से बाहर ब्रहमपुरी क्षेत्र में स्थित है, जिसका कूडा संग्रहण ग्रीन हिमालया संस्था के 2 कूडा संग्रहकों के माध्यम से किया जाता है एवं जिसका कूडा निस्तारण एवं यूजर चार्ज कलैक्शन ग्रीन हिमालया संस्था द्वारा ही किया जाता है, जिसके संस्थापक जितेन्द्र दूरभाष संख्या– 8279917919 है। कूडे के एकत्रीकरण से सम्बन्धित कार्यों हेतू ओशो धाम आश्रम ब्रहमपुरी के दूरभाष– 9149236745 पर संस्था द्वारा संपर्क किया गया।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न– संस्था के बिल की प्रतिलिपि

भवदीया,

Anjali

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत तपोवन।

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांक–: एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक अक्टूबर 15, 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

विषय–: श्री जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (औशो गंगा धाम) लीज न0 52, ब्रहमपुरी, ब्रदीनाथ रोड़ टिहरी गढवाल के अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 15.10.2024 को अपर जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के द्वारा ऑन–लाईन Google Meet मीट के माध्यम से उपरोक्त विषयक प्रकरण पर सम्बन्धित विभागों की बैठक आयोजित की जिसमें महोदय द्वारा अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित प्रकरण के अनुरूप उक्त संस्थान का निरीक्षण कर महोदय को सम्बन्धित आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित संस्थान का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान संस्थान के प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार मौजूद थे, निरीक्षण के दौरान संस्थान में निम्नांकित कमियॉ परिलक्षित हुई हैं–:

1. संस्थान में कुल 16 कक्ष (कृष्णा कुटीर–04, जानकी कुटीर–06, गंगा कुटीर–06) एवं 02 बड़े हॉल (बुद्धा हॉल–01, शवरी कुटीर–01) स्थापित है, जिनमें अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
2. संस्थान के विद्युत पैनल के समीप रबड़ मैट उपलब्ध नहीं है, तथा विद्युत पैनल की वायरिंग सुव्यवस्थिति किया जाना अपेक्षित है।
3. संस्थान के भोजनालय में अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तथा मौके पर उपलब्ध गैस सिलेण्डरों को गैस बैंक में स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
4. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था मोके पर उपलब्ध नहीं पायी गयी, सम्बन्धित संस्थान में एन0बी0सी0 2016 पार्ट–04, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रबन्धक को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से मानचित्र अनुमोदित कराते हुये, अग्निशमन की व्यवस्था पूर्ण को ऑन लाईन आवेदन कर अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या कृपया अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–: यथोपरि। "सादर"

15/10/24
(शंकर चन्द रमोला)
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)।

प्रतिलिपि–:

1. अपर जिलाधिकारी महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांक– एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक– 15/10/, 2024

सेवा में,

प्रबन्धक
श्री [illegible] ट्रस्ट ([illegible])
[illegible] नं0 52 [illegible]
टिहरी गढ़वाल।

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग–03 के आदेश संख्या: 342(1)/XX–3/2021–2(39)/2006 दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुसार प्रतिष्ठानों/संस्थानों/औद्योगिक इकाईयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा नियमानुसार प्रत्येक छः माह में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करने तथा समय सीमा के अन्तर्गत घोषणा पत्र प्रेषित न किये जाने की स्थिति में निर्गत की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाने की शर्तो के साथ अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में Directorate General FS CD & HG, East Block, RK Puram, New Delhi के व आदेश संख्या 139702/XX 3/.2023 –03(11)/2021 दिनांक 21.07.2023 एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांकः डीजी–आठ/156/2020(4) दिनांकः 01 अगस्त 2023 पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टहरी गढवाल एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी टिहरी गढवाल के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03.08.2023 के आदेशानुसार मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15/10/2024 को आपके प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत् किया गया जिसमे निम्नलिखित कमियॉ पायी गईः–

क0सं0	कमियॉ	अन्य विवरण
01	आपके द्वारा उक्त प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सन्तोषजनक होने सम्बन्धी स्व–घोषणा पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड नही किया गया है। – No.	अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।
2.	निरीक्षण के दौरान मौके पर अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।	5. संस्था में व्यवस्था पूर्ण कर नियमानुसार [illegible]
3.	[illegible] बोर्ड के नीचे [illegible] अग्निशमन व्यवस्था शून्य है।	[illegible] हेतु [illegible] की [illegible] अग्निशमन की [illegible] में [illegible] NO:
4.	निरीक्षण किया गया कि मौके [illegible] अग्निशमन की व्यवस्था NBC 2016 [illegible]	प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
	–04 [illegible] के अनुरूप नहीं।	

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर अपने प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई में उपरोक्त कमियों को पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें ताकि उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। प्रतिष्ठान/संस्थान/औद्योगिक इकाई में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ न होने की दशा में यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो भवन स्वामी/मैनेजर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Received
[illegible] Kumar
9149236745

15/10/24
अग्निशमन अधिकारी
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)।

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
जनपद टिहरी गढ़वाल
निरीक्षण रिर्पोट

(दिनांक 16/10/2019 व समय 12:45 p.m.

खाद्य कारोबारकर्ता/कम्पनी/मैसर्स का नाम एंव पता :– श्री मनोज पुत्र [illegible] (प्रो०-[illegible]) RA पानी [illegible] (लोडा [illegible]) [illegible], [illegible] [illegible], टिहरी०
खाद्य कारोबार कर्ता का प्रकार (रीटेलर/होलसेलर/निर्माता/डिस्ट्रीब्यूटर/वितकर/फेरी)
वाहन का प्रकार एंव नम्बर (यदि लागू हो) —
वाहन रोकने का समय (यदि लागू हो) — कार्यवाही के उपरान्त छोड़ने का समय —
उपरोक्तानुसार आपके प्रतिष्ठान/फेरी/निर्माण इकाई/वितरण वाहन RA पानी [illegible]
स्थान [illegible] डाकखाना [illegible] थाना [illegible]
जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित है का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी ने अपना परिचय देकर, किया जिसमें आपके द्वारा पदार्थ ....मानव के उपयोग में बिक्री हेतु निर्माण करते हुए/संग्रह किये हुए/वितरण करते हुये/बिक्री करते हुये पाया गया/गये है।

निरीक्षण विवरण :–

1. एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 31 एवं खाद्य कारोबार विनियम–2011 के अनुसार फूड लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन है/नहीं है यदि है तो लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं है।
2. एफ.एस.एस.(लाइसेन्सिंग एण्ड रजिस्ट्रेशन) विनियम–2011 (अनुसूची–4)के शर्तो का खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं अन्य एवं निरीक्षण विवरणः– स्थिति के निरीक्षण (Bottling area) संचालित है।
 1- खाद्य सुरक्षा अधि० 2006 एवं विनियमावली 2011 के तहत FSSAI पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
 2- RO जल का प्रयोग किया जाता है किन्तु water testing report नहीं है।
 3- Pest control certificate नहीं है।
 4- विनिर्माण के 4 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं हैं।
 5- Sewage treatment की व्यवस्था नहीं है।
3. निर्देशः– उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण लिखित में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को आगामी 3(03) तीन दिनों में देना सुनिश्चित करें।
 स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि० 2006 नियमावली 2011 की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही प्रचलित की जा सकती है।

ह0 खाद्य कारोबारकर्ता
नाम व पता
[signature]

वरिष्ठ/खाद्य सुरक्षा अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

क्र